राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

श्री राजकुमार रिणवा, पर्यावरण राज्यमंत्री, पर्यावरण विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

पर्यावरण विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)पर्या/2015 दिनांक 27.8.2015 जिसके द्वारा खेतों में फसल कटाई के बाद शेष रहे भूसे को जलाये जाने से प्रतिबन्धित किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(3)पर्या/2009/पार्ट-III दिनांक 29.10.2015 जिसके द्वारा माउन्ट आबू जोनल मास्टर प्लान, 2030 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.3(342)आरपीसीबी/ऐस्टि. दिनांक 18.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम, 1993 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे।

(III) श्री कालीचरण सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा-25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे।

जारी..2..

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

I- विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला –जोधपुर में ग्राम पदेन सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने बाबत् ; एवं

II- विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला –जोधपुर के तहसील कार्यालय लूणी एवं उप तहसील कार्यालय झंवर के भवनों का निर्माण करवाये जाने बाबत् ।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य, विधान सभा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिणधरी (बाड़मेर) में गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(3) श्री पब्बाराम, सदस्य, विधान सभा, नगरपालिका क्षेत्र फलोदी में सीवरेज लाईन डाले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(4) श्रीमती अनीता, सदस्य, विधान सभा, सेमली में पी.एच.सी. खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

5. वित्तीय कार्य
अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-2016 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-2016 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे ।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017
प्रथम अवस्था
सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 पर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 08 मार्च, 2016